

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।**



अपील संख्या 1189/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान - मैसर्स भारत होटल लि0, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत-सप्तम्, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2017	<p align="center"><b>खण्डपीठ</b> <b>श्री नत्थूराम, सदस्य</b> <b>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिशोधित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया मांग राशि 15,22,814/- में से राशि रूपये 7,61,407/- को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया गया अतः व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपटित धारा 83 के तहत पुनः स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है।</p> <p>उभयपक्षों की बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि रु. 7,61,407/- पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। व्यवहारी फर्म को आयुक्त, उद्योग विभाग (सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय छानबीन समिति), जयपुर द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 के तहत Entitlement Certificate No. 02/29 दिनांक 16.08.2012 को जारी किया गया, जो सात वर्षों तक मान्य है। उक्त आलौच्य अवधि में अपीलार्थी को पूर्व में रोजगार सृजन सबसिडी प्रदान की गई थी, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रोत्साहन योजना को गलत निर्वचन करते हुए उक्त राशि की कमी कर, मांग राशि कायम की गई जो कि विधिनुकूल नहीं है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के</p>	

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।**

अपील संख्या 1189/2017.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/08/2017	<p>पश्चात पाया कि प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना राशि रूपये 7,61,407/- की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               (मदन लाल मालवीय)              सदस्य         </div> <div style="text-align: center;">               (नेथूराम)              सदस्य         </div> </div>	